**8 नवंबर, 2013 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 60वीं बैठक के लिए एजेंडा**

**मद संख्या 60.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव**

| क्र. सं. | विकासक का नाम | लोकेशन | क्षेत्र | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि पर कब्जा | एसजीआर* | आवेदन की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | केरल स्टेट आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल) | मुरनीगुर एवं ठेक्कुमोरी गांव, मुकुंदपुरम तालुक, कोरैटी पंचायत, त्रिसूर जिला, केरल | आईटी / आईटीईएस | 7.4909 | हां | हां | नया |
| (ii) | मैसर्स ट्रांसेंडेंट डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड | वघोली एवं भवादी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र | आईटी / आईटीईएस | 13.01 | हां | हां | ** |

*राज्य सरकार की सिफारिश

** 30 अगस्त 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर रखा गया था। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक से कुछ सूचना / दस्तावेज प्रदान करने के लिए कहा था तथा उपर्युक्त प्रस्ताव पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की थी। तद्नुसार बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अब सिफारिश प्रस्तुत कर दी है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

**मद संख्या 60.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध**

**(i) ग्राम मधुरवाडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

एसईजेड का विकास आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा किया गया है जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रमोट की गई स्वायत्त सोसाइटी है। 17.127 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 25 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था।

मैसर्स पलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 0.376 हेक्टेयर (0.93 एकड़) के क्षेत्रफल में पूर्ण आईटी इंक्यूबेशन सेंटर तथा अन्य सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 4 सितंबर, 2013 उपलब्ध कराया गया है। पट्टा विलेख दिनांक 4 सितंबर 2013 भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 33 साल है। पट्टा प्रीमियम 10552 रुपए (दस हजार पांच सौ बावन रुपए मात्र) प्रति वर्गमीटर निर्धारित किया गया है। पट्टा प्रीमियम 3,97,14,668 रुपए (तीन करोड़ सत्तानवे लाख चौदह हजार छ: सौ छाछठ रुपए मात्र) है। पट्टेदार ने 3,97,14,668 रुपए के पट्टा प्रीमियम का भुगतान किया है।

**विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।**

**सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(ii) कोझीकोड जिला, केरल में मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स साइबर पार्क, कोझीकोड का अनुरोध**

**यह एसईजेड मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल) द्वारा विकसित किया जा रहा है जो केरल सरकार द्वारा प्रमोट की गई स्वायत्त सोसाइटी है।** 12.0990 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है।**

**मैसर्स साइबरपार्क कोझीकोड को** 4.3 **एकड़ के क्षेत्रफल में आईटी अवसंरचना प्रदान करने के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान किया जा चुका था। अब सह विकासक ने सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) जैसी सेवाओं से संबंधित अवसंरचना सुविधाओं के लिए** 0.70 **एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्रफल का विकास करने के लिए अपने स्टेटस के कार्यक्षेत्र में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिससे सह विकासक द्वारा विकास के लिए कुल क्षेत्रफल** 5 **एकड़ हो जाएगा।**

**विकासक के साथ किया गया प्रारूप सह विकासक करार उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की प्रस्तावित अवधि** 90 **साल है। सह विकासक को भूमि आवंटन के पहले लेनदेन के लिए निर्धारित किए जाने वाले भूमि मूल्य की दर को घटाकर** 20 **प्रतिशत की लागत पर** 900 **रुपए प्रतिवर्ष के पट्टा अनुरक्षण किराया का प्रस्ताव किया गया है।**

**विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।**

**सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(iii) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में विशिष्ट अधिकृत प्रचालनों के साथ सह विकासक के लिए मैसर्स जीएसपीसी एलएनजी लिमिटेड का अनुरोध**

6456.3349 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।**

**मैसर्स जीएसपीसी एलएनजी लिमिटेड (जीएलएल) जो गुजरात सरकार तथा गुजरात सरकार उपक्रम की संयुक्त उद्यम कंपनी है, ने विशिष्ट अवसंरचना सुविधाओं अर्थात एलएनजी टर्मिनल, भंडारण तथा पुन: गैसीकरण सुविधाओं एवं संबद्ध सुविधाओं जैसी विशिष्ट अवसंरचना सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में** 28 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।**

**विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक** 14 **अगस्त,** 2013 **उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा भी उपलब्ध कराया गया है।** 30 **साल के लिए पट्टा दिनांक** 17 **फरवरी** 2001 **करके विकासक ने गुजरात सरकार से एसईजेड भूमि का अधिग्रहण किया। इस प्रकार पट्टा अवधि के विस्तार के लिए प्रावधान के साथ वर्तमान पट्टा अवधि** 18 **साल है। लागू एसईजेड अनुरक्षण प्रभार के साथ** 100 **रुपए प्रति वर्गमीटर के वार्षिक पट्टा किराया का प्रस्ताव किया गया है।**

**विकासक ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित विशिष्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए पुन: अनुरोध किया है** :

| **क्र. सं.** | **अधिकृत प्रचालन** | **यूनिटों की संख्या** | **यथा लागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)** | **कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / क्षमता (मेगावाट में)** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **एलएनजी रिसीविंग टर्मिनल** | | | |
| **(क)** | **जेट्टी प्लेटफार्म** | 1 | **लागू नहीं** | 1200 |
| **(ख)** | **ब्रेस्टिंग एंड मूरिंग डॉल्फिन** | 10 | **लागू नहीं** | 1060 |
| **(ग)** | **संपर्क ढांचा (रोडवेज और पाइपिंग सहित)** | 1 | **लागू नहीं** | 13500 |
| 2. | **एलएनजी भंडारण टैंक** | 2 | **लागू नहीं** | 64000 |
| 3. | **पुन: गैसीकरण की सुविधाएं** | 1 | **लागू नहीं** | 216000 |

**विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्तावों की सिफारिश की है।**

**सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**मद संख्या 60.3 : एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए अनुरोध**

**(ii) गंभीरम गांव, आनंदपुरम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एपीआईआईसी लिमिटेड का अनुरोध**

20.76 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 24 **अप्रैल**, 2009 **को अधिसूचित किया गया था।**

**विकासक ने एसईजेड के क्षेत्रफल में** 10.66 **हेक्टेयर की कटौती करने का प्रस्ताव किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल** 10.109 **हेक्टेयर हो जाएगा ताकि घरेलू व्यवसाय करने वाली आईटी कंपनियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा सके तथा विशाखापट्टनम को आदर्श गंतव्य बनाया जा सके।**

**विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।**

**विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**मद संख्या 60.4 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

**(i) 8वें वर्ष के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध**

**मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो जगतसिंहपुर जिला, उड़ीसा में** 1630.496 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड का विकासक है, को** 26 **अक्टूबर**, 2006 **को एलओए प्रदान किया गया था। विकासक को** 7 **विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि** 24 **अक्टूबर**, 2013 **को समाप्त हो रही है।**

विकासक ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि अब तक भूमि अतिक्रमण से मुक्त नहीं है और यह कि अतिक्रमण हटाने तथा क्षतिपूर्ति का वितरण करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह भारत के लिए इकरार की परियोजना है तथा भारत में सबसे बड़ी एफडीआई परियोजनाओं में से एक भी है।

तद्नुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) 5वें और छठें वर्ष के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विक्रम लॉजिस्टिक मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड को 16 अक्टूबर, 2008 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था।

इसके बाद वाणिज्य विभाग द्वारा तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा पिछला विस्तार 15 अक्टूबर 2012 तक था। वास्तव में विकासक ने 8 अक्टूबर 2012 को विकास आयुक्त, एमईपीजेड के पास औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन किया था परंतु भूमि के संबंध में मांगे गए कुछ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका क्योंकि वे स्वैप डील के माध्यम से भूमि के कुछ क्षेत्रफल (लगभग 12 एकड़) का अधिग्रहण नहीं कर पाए थे जो एसईजेड की सन्निकटता स्थापित करने के लिए आवश्यक है। इसलिए अब उन्होंने दो साल के लिए सैद्धांतिक एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यह कहते हुए अनुरोध किया है कि एक साल की बढ़ाई गई अवधि 15 अक्टूबर 2013 तक समाप्त हो जाएगी जिससे भूमि अधिग्रहण, पंजीकरण की औपचारिकताओं आदि को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहेगा। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए समय सूची प्रदान की है तथा वे 30 जून 2014 तक औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन दाखिल करने की उम्मीद कर रहे हैं।

विकासक ने यह भी सूचित किया है कि वे परियोजना में 289 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं।

विकासक ने क्षेत्र में 119 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसमें से एसईजेड के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल 106 एकड़ होगा। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि 106 एकड़ में से उन्होंने 94 एकड़ का अधिग्रहण कर लिया है तथा उन्हें स्वैप डील के माध्यम से शेष 12 एकड़ का अधिग्रहण करने की उम्मीद है जो सन्निकटता स्थापित करने के लिए अपेक्षित है। विकासक ने स्वयं द्वारा किए जा चुके अवसंरचना कार्य जैसे कि मिट्टी की जांच, चारदीवारी, फेंसिंग आदि का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 60.5 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

**(i) त्रिक्काकारा गांव उत्तर, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 31 अक्टूबर, 2013 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स सुथरलैंड ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 18 जून, 2009 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को दो विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 31 अक्टूबर, 2013 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने बताया है कि उन्होंने भूमि के क्रय तथा एसईजेड के मास्टर प्लान की डिजाइन एवं ड्राइंग, विद्युत कार्य, फैब्रिकेशन आदि के लिए अब तक 25 करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश किया है तथा अब उन्होंने लोकेशन पर 50 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(ii) संथाल जंक्शन, तालुक सानंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 नवंबर, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मायरॉन रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 12 नवंबर 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को दो विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 11 नवंबर, 2013 तक है।

विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि कार्य 2008 में शुरू हो गया था तथा वैश्विक मंदी तथा बाजार में उतार चढ़ाव के कारण प्रगति धीमी थी।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि से भिन्न विकास तथा अवंसरचना से संबंधित कार्यों पर 13.28 करोड़ रुपए सहित अब तक 56.70 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
(ii) अगले 4 वर्षों के अंदर परियोजना को पूरा करने की योजना है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(iii) हासन, कर्नाटक में चिकित्सा अनुप्रयोग के लिए उपकरणों, डिवाइसों एवं उपभोज्य वस्तुओं के विनिर्माण लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 सितंबर, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स ऑप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

**विकासक को औपचारिक अनुमोदन** 24 **सितंबर**, 2008 **को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को एक विस्तार प्रदान किया गया है जिसकी वैधता अवधि** 23 **सितंबर**, 2012 **को समाप्त हो गई है। विकासक ने दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया जिसकी जांच वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर की गई तथा कार्यान्वयन अनुसूची प्राप्त करने तथा प्रस्तावित एसईजेड का नए सिरे से निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया। इस बीच दूसरी बार बढ़ाई गई वैधता अवधि भी समाप्त हो गई है।**

**विकासक ने सेक्टर को 'आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर' से बदलकर 'चिकित्सा प्रयोग के लिए उपकरणों, डिवाइसों, अससेसरीज तथा उपभोज्य वस्तुओं के निर्माण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड' जिसे अप्रैल** 2012 **में अनुमोदित किया गया था, किए जाने के कारण वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

**विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है** :

(i) **भूमि पर निवेश** 37.76 **करोड़ रुपए**
(ii) **अवसंरचना पर निवेश** 17.35 **करोड़ रुपए**
(iii) **परियोजना में** 523 **करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की योजना है**;
(iv) **सितंबर** 2015 **तक परियोजना को पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है।**

**विकास आयुक्त**, **सीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(iv) ग्राम चीमेनी, कासरगोड जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 सितंबर, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल स्टेट टेक्नोलॉजी इंफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

**विकासक को औपचारिक अनुमोदन** 19 **सितंबर**, 2008 **को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को** 2 **विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जो** 18 **सितंबर**, 2013 **को समाप्त हो गया है।**

**विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन**: **बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

**विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है** :

(i) **भूमि पर निवेश** 25 **करोड़ रुपए**
(ii) **अवसंरचना पर निवेश** 3.5 **करोड़ रुपए**
(iii) **विभिन्न श्रेणियों में पीएमसी सहित पैनल में शामिल वास्तुकारों की सूची निर्माण तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए केएसआईटीआईएल के पास तैयार है।**

**विकास आयुक्त**, **सीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(v) ग्राम एराममम, कन्नूर जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 सितंबर, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल स्टेट इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

**विकासक को औपचारिक अनुमोदन** 19 **सितंबर**, 2008 **को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को** 2 **विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जो** 18 **सितंबर**, 2013 **को समाप्त हो गया है।**

**विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

**विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है** :

(i) **अवसंरचना विकास पर निवेश** 3.21 **करोड़ रुपए है।**
(ii) **नवंबर** 2014 **तक आईटी भवनों का निर्माण पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है।**

**विकास आयुक्त**, **सीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(vi) कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 दिसंबर, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड का अनुरोध**

**विकासक को औपचारिक अनुमोदन** 14 **दिसंबर** 2007 **को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि** 13 **दिसंबर**, 2013 **तक है।**

**विकासक ने अपनी ओर से प्रयासों के बावजूद परियोजना के विशाल आकार तथा जटिलताओं के कारण वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने चार भवन ब्लाकों को पूरा कर लिया है तथा इंटरनल फिटिंग / आउट वर्क प्रगति पर है। शेष ब्लाक का सिविल कार्य प्रगति पर है।**

**विकासक ने अब तक भूमि पर** 138 **करोड़ रुपए का निवेश किया है।**

**विकास आयुक्त**, **एफएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(vii) एमआईडीसी, फाइव स्टार औद्योगिक क्षेत्र, शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इंसपिरा इनफ्रा (औरंगाबाद) लिमिटेड का अनुरोध**

**विकासक को औपचारिक अनुमोदन** 26 **जुलाई** 2007 **को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि** 25 **जुलाई**, 2013 **को समाप्त हो रही है।**

विकासक ने वैश्विक आर्थिक मंदी, पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने में विलंब तथा मैट लगाए जाने आदि के कारण वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि पर निवेश 10.95 करोड़ रुपए
(ii) अवसंरचना पर निवेश 27.90 करोड़ रुपए
(iii) मार्च 2014 तक संपूर्ण परियोजना को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(viii) प्लाट नंबर सी-22, एमआईडीसी, फाइव स्टार औद्योगिक क्षेत्र, शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इंसपिरा इनफ्रा (औरंगाबाद) लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 जुलाई 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 को समाप्त हो रही है।

विकासक ने वैश्विक आर्थिक मंदी, पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने में विलंब तथा मैट लगाए जाने आदि के कारण वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि पर निवेश 1 करोड़ रुपए
(ii) अवसंरचना पर निवेश 3.12 करोड़ रुपए
(iii) मार्च 2014 तक संपूर्ण परियोजना को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(ix) करकापटला गांव, मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 अगस्त, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ इंफ्रा लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 22 अगस्त 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 14 अगस्त, 2013 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने एचएमडीए द्वारा अपने लेआउट प्लान का अनुमोदन लंबित होने के कारण वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है, जिन्होंने आवश्यक प्रभारों के भुगतान के बावजूद नाला प्रभारों तथा भूमि प्रयोग प्रमाण पत्र को भी अंतिम रूप नहीं दिया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(x) आईटी प्लॉट (आईआईएफ/3), एरिया 2, न्यू टाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 दिसंबर, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 14 दिसंबर 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 13 दिसंबर, 2013 को समाप्त हो रही है।

विकासक ने निर्माण से संबंधित समस्याओं के कारण वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) परिधि के सीमांकन एवं फेंसिंग का कार्य पूरा करना।
(ii) 4 ब्लाकों के लिए भवन प्लान, निविदा प्रक्रिया, भराव कार्य, सुपर स्ट्रक्चर वर्क पूरा करना।
(iii) सभी प्रमुख उपकरणों की खरीद करना।
(iv) परियोजना को पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा दिसंबर 2014 है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(xi) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-ए के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 25 अक्टूबर, 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 22 अक्टूबर, 2013 तक है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) जुलाई 2013 तक अवसंरचना के विकास पर निवेश 73.67 करोड़ रुपए है।
(ii) 3.28 किलोमीटर की चारदीवारी, आंतरिक सड़क, स्टार्म वाटर, आईटी डक्ट, वाटर चैनल पर ब्रिज, सब स्टेशन लिफ्ट का निर्माण किया गया है। एचवीएसी का कार्य प्रगति पर है।

विकास आयुक्त, नवी मुंबई ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(xii) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-बी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 25 अक्टूबर, 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 22 अक्टूबर, 2013 तक है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) जुलाई 2013 तक अवसंरचना के विकास पर निवेश 130.90 करोड़ रुपए है।
(ii) 3.28 किलोमीटर की चारदीवारी, आंतरिक सड़क, स्टार्म वाटर, आईटी डक्ट, वाटर चैनल पर ब्रिज, सब स्टेशन लिफ्ट का निर्माण किया गया है। एचवीएसी का कार्य प्रगति पर है।
(iii) 2013 की दूसरी तिमाही तक भूतल+9 फ्लोर के आईटी / आईटीईएस भवन का सिविल कार्य पूर्ण हो जाने की उम्मीद है।

विकास आयुक्त, नवी मुंबई ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(xiii) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-सी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 नवंबर, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 21 नवंबर, 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 21 नवंबर, 2013 तक है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) जुलाई 2013 तक अवसंरचना के विकास पर निवेश 37.20 करोड़ रुपए है।
(ii) चारदीवारी, आंतरिक सड़क, स्टार्म वाटर, आईटी डक्ट, वाटर चैनल पर ब्रिज, सब स्टेशन लिफ्ट का निर्माण किया गया है।

विकास आयुक्त, नवी मुंबई ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(xiv) वड़ापलांजी, मदुरै, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध**

**विकासक को औपचारिक अनुमोदन** 26 **जुलाई** 2007 **को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि** 25 **जुलाई**, 2013 **को समाप्त हो गई है।**

**विकासक ने आईटी सेक्टर में मंदी के कारण वैधता अवधि पुन**: **बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

**विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है** :

(i) **अवसंरचना विकास पर निवेश** 14.52 **करोड़ रुपए है।**
(ii) 63000 **वर्गफीट का निर्माण करने की योजना बनाई गई है। इंक्यूबेशन सेंटर के रूप निर्मित आईटी स्पेस**

**विकास आयुक्त**, **एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(xv) इलैंधैकुलम, मदुरै, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध**

**विकासक को औपचारिक अनुमोदन** 26 **जुलाई** 2007 **को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि** 25 **जुलाई**, 2013 **को समाप्त हो गई है।**

**विकासक ने परियोजना को पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुन**: **बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

**विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है** :

(i) **अवसंरचना विकास पर निवेश** 14.99 **करोड़ रुपए है।**
(ii) **मार्च** 2014 **तक निर्माण पूरा करने तथा जून** 2014 **तक उत्पादन शुरू करने की योजना है।**

**विकास आयुक्त**, **एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(xvi) होसुर, विश्वनाथपुरम, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध**

**विकासक को औपचारिक अनुमोदन** 26 **जुलाई** 2007 **को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि** 25 **जुलाई**, 2013 **को समाप्त हो गई है।**

**विकासक ने परियोजना को पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

**विकासक ने अवसंरचना विकास पर 6.85 करोड़ रुपए का निवेश किया है।**

**विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(xvii) जागीरम्मापलयम, सलेम, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध**

**विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 जुलाई 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 को समाप्त हो गई है।**

**विकासक ने परियोजना को पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

**विकासक ने अवसंरचना विकास पर 5 करोड़ रुपए का निवेश किया है।**

**विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(xviii) गंगैकोंडन गांव, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध**

**विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 जुलाई 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 को समाप्त हो गई है।**

**विकासक ने परियोजना को पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

**विकासक ने अवसंरचना विकास पर 12.76 करोड़ रुपए का निवेश किया है।**

**विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(xix) प्लाट नंबर टीजेड 4, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड का अनुरोध**

**विकासक को औपचारिक अनुमोदन 23 मई 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 3 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 22 मई, 2013 को समाप्त हो गई है।**

विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि कार्य 2008 में शुरू हो गया था तथा वैश्विक मंदी तथा बाजार में उतार चढ़ाव के कारण प्रगति धीमी थी।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि से भिन्न विकास तथा अवंसरचना से संबंधित कार्यों पर 44.96 करोड़ रुपए सहित अब तक 77.26 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
(ii) 22 मई 2015 तक परियोजना को क्रियाशील बनाने की योजना है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(xx) नारीवली गांव, तालुक एवं जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 मई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स लोधा ड्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 3 मई 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 3 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 2 मई, 2013 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि पर निवेश 1800 लाख रुपए
(ii) अवसंरचना पर निवेश इनफ्रा के लिए 3200 लाख रुपए तथा भवनों के लिए 48000 लाख रुपए
(iii) 2014 के अंत तक अवसंरचना का निर्माण पूर्ण करने तथा मई 2016 तक एसईजेड को क्रियाशील बनाने की योजना है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(xxi) द्रोणगिरी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद्य क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

एलओए दिनांक 30 जुलाई 2007 के माध्यम से द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद्य एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 29 जुलाई, 2013 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने सन्निकटता से संबंधित समस्याओं के कारण वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) **अवसंरचना विकास पर** 1627 **करोड़ रुपए का निवेश सहित** 3356 **करोड़ रुपए का निवेश।**

**विकास आयुक्त**, **एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(xxii) कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-बी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

**एलओए दिनांक** 26 **जुलाई** 2007 **के माध्यम से कालंबोली**, **नवी मुंबई**, **महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि** 25 **जुलाई**, 2013 **को समाप्त हो गई है।**

**विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन**: **बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

**विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है** :

(i) **अवसंरचना विकास पर** 169.40 **करोड़ रुपए का निवेश सहित** 270.21 **करोड़ रुपए का निवेश।**

**विकास आयुक्त**, **एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(xxiii) कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

**एलओए दिनांक** 26 **जुलाई** 2007 **के माध्यम से कालंबोली**, **नवी मुंबई**, **महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। एसईजेड अब अधिसूचित हो गया है। विकासक को** 3 **विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि** 2 **मई**, 2013 **को समाप्त हो गई है।**

**विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन**: **बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।**

**विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है** :

**अवसंरचना विकास पर** 224.02 **करोड़ रुपए का निवेश सहित** 357.33 **करोड़ रुपए का निवेश।**

**विकास आयुक्त**, **एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**(xxiv) मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स ओप्टो इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 21 अगस्त, 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 20 अगस्त, 2013 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने कर्नाटक सरकार से स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलंब और इसकी वजह से एसईजेड की अधिसूचना में विलंब के कारण वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) अवसंरचना पर निवेश 15 करोड़ रुपए है
(ii) 2013-14 के दौरान 4 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(xxv) ग्राम ओगनज, तालुक दसकोरी, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 6 नवंबर, 2013 के बाद (7वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 6 नवंबर 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को चार विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 20 अगस्त, 2013 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने परियोजना को पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने पूरा कर लिया है :

(i) चारदीवारी, सड़कें
(ii) दो टावरों में 3.50 लाख वर्गफीट के कार्यालय स्थान का निर्माण
(iii) जलापूर्ति के लिए बोर वेल और

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि पर 2 करोड़ रुपए का निवेश
(ii) अन्य अवसंरचना पर निवेश 12 करोड़ रुपए
(iii) इस वर्ष 10 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(xxvi) ग्राम भोंडसी, तहसील सोहना, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 नवंबर, 2012 के बाद (7वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स असेंडेंट एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 6 नवंबर 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 5 नवंबर, 2012 को समाप्त हो गई है।

परियोजना में किए गए निवेश तथा इसके कार्यान्वयन की अनुसूची पर नवीनतम रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड को एक साल की अगली अवधि के लिए चौथी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक से प्राप्त अनुरोध को लौटा दिया गया था।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया है कि अनुमोदन बोर्ड ने 24 जनवरी 2012 को एलओए की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को पहले अस्वीकार कर दिया था और इस प्रकार एलओए की वैधता अवधि 5 नवंबर 2011 को समाप्त हो गई है। तथापि, कालातीत अवधि के दौरान विकासक ने चारदीवारी का निर्माण करने प्रसंस्करण क्षेत्र एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र का सीमांकन करने तथा मास्टर प्लान के अनुमोदन के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। एलओए की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद 5 नवंबर 2011 को विकासक द्वारा ये आवेदन प्रस्तुत किए गए तथा एलओए की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के कारण आवेदन मंजूर नहीं किए गए। विकासक ने एलओए की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया तथा इसके बाद पत्र दिनांक 17 जुलाई 2012 के माध्यम से एलओए की वैधता अवधि बढ़ाई गई। एलओए की इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि से वास्तव में विकासक को अगस्त 2012 से 5 नवंबर 2012 तक का लगभग 3 माह का समय मिला।

इस बीच अपने पत्र दिनांक 19 जून 2013 के माध्यम से विकासक ने बताया है कि वे चारदीवारी के निर्माण, प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के सीमांकन तथा मास्टर प्लान के अनुमोदन के लिए नए सिरे से आवेदन करेंगे। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बाद वे निम्नलिखित कदम उठाना चाहेंगे :

(i) एसईजेड की स्थापना के लिए हरियाणा राज्य पोल्यूशन बोर्ड से सहमति
(ii) पर्यावरणीय स्वीकृति
(iii) फायर डिपार्टमेंट से एनओसी
(iv) भवन की ऊंचाई के संबंध में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से स्वीकृति

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सिफारिश की है कि ऊपर बताई गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छ माह की अगली अवधि के लिए वैधता बढ़ाई जा सकती है तथा प्रगति पर नजर रखी जा सकती है।

तदनुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(xxvii) 5वां मील पत्थर, ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 नवंबर 2013 के बाद (7वें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स मेट्रो वैली कार्पोरेशन का अनुरोध**

उपर्युक्त एसईजेड को 6 नवंबर 2006 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को 7 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 5 नवंबर, 2013 तक है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

**विकासक ने परियोजना में अब तक लगभग 149.5 करोड़ रुपए का निवेश किया है जिसमें से लगभग 30.5 करोड़ रुपए एफडीआई है। सिर्फ पिछले चार वर्षों में उन्होंने अवसंरचना के विकास में 18 करोड़ रुपए का निवेश किया है।**

**विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने नोट किया है कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा पिछली बार बढ़ाई गई अवधि से अब तक की मध्यवर्ती अवधि के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि गुड़गांव नगर निगम के साथ भूमि विवाद के कारण विकासक निर्माण कार्य शुरू करने में असमर्थ है।**

**तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

**मद संख्या 60.6 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध**

**(i) 72.37 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित अपने एसईजेड को विमुक्त कराने के लिए राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रिको) जो बोरनाडा, जोधपुर, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध**

**72.37 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 8 अक्टूबर, 2003 को अधिसूचित हो गया है तथा क्रियाशील है।**

**अब विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध इसलिए किया है क्योंकि एसईजेड में इसकी यूनिटें डीटीए में प्रचालन करने वाली यूनिटों की तुलना में नुकसान की स्थिति में आ गई हैं।**

**विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विमुक्त करने के अनुरोध को अग्रेषित किया है।**

**एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

**मद संख्या 60.7 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

**(ii) 3 दिसंबर 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड जो विलानकुरिची गांव, कोयंबटूर, तमिलनाडु में एलकॉट आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

**उपर्युक्त यूनिट को एसईजेड में आईटी / आईटीईएस यूनिट स्थापित करने के लिए 4 दिसंबर 2009 को ऊपर उल्लिखित एलओपी प्रदान किया गया। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, एमईपीजेड द्वारा तीन विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 3 अक्टूबर 2013 तक वैध है।**

**यूनिट ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है, ताकि परियोजना को पूरा किया जा सके।**

**यूनिट ने अब तक 70.9 करोड़ रुपए का निवेश किया है।**

**यूनिट 2013-14 की चौथी तिमाही तक प्रचालन शुरू करने के लिए तैयार हो जाएगी।**

**यूनिट की मई 2014 तक उत्पादन शुरू करने की योजना है।**

**विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।**

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

**(ii) 6 नवंबर, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी मंगलौर पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड जो मंगलौर, कर्नाटक में मंगलौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

उपर्युक्त यूनिट को अधिकृत प्रचालनों के संचालन अर्थात पैराक्सिलीन, बेंजीन, एलपीजी, हाइड्रोजन एवं पैराफिनिक रैफिनेट के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए 7 नवंबर 2007 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, सीएसईजेड द्वारा तीन विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 6 नवंबर, 2013 तक वैध है।

यूनिट ने 6 माह के लिए (6 मई, 2014 तक) वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

यूनिट ने 2 जुलाई, 2013 तक 4246 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

यूनिट की मई 2014 तक उत्पादन शुरू करने की योजना है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

**(iii) 30 सितंबर 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एंबेडेड आईटी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर के लिए मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

पीसीबी तथा इलेक्ट्रानिक सब असेंबली के उत्पादों के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 23 दिसंबर, 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, सीएसईजेड द्वारा तीन विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा चौथा विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 30 सितंबर, 2013 तक वैध है।

यूनिट ने कुछ अपरिहार्य विलंब के कारण एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

यूनिट ने 4,50,59,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा 90 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है।

यूनिट की अनंतिम रूप से अक्टूबर 2013 के अंत तक उत्पादन शुरू करने की योजना है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

**(iv) 30 सितंबर, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अडानी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड जो मुंद्रा, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड एसईजेड द्वारा विकसित बहुत उत्पाद्र एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

कॉटन पैड के रोल्ड गुड्स, वाइप के रोल्ड गुड्स तथा 100 जीएसएम के रोल्ड गुड्स के निर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 28 मार्च 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, एपीएसईजेड द्वारा तीन विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा एक विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 30 सितंबर, 2013 तक वैध है।

न्यायिक मामले के लंबित होने के कारण एक साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट ने पुन: अनुरोध किया है जिसमें विकासक के पक्ष में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किए जाने तक कोई विकास कार्य न करने का आदेश दिया गया है।

विकास आयुक्त, एपीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

**(v) 30 सितंबर, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में स्टर्लिंग एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

जीलेटिन एवं डिकैल्सियम फॉस्फेट के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 4 सितंबर, 2009 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड द्वारा तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 1 सितंबर, 2013 तक वैध है।

यूनिट ने कुछ वाणिज्यिक आवश्यकताओ के कारण एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

यूनिट ने अब तक 811.63 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

यूनिट ने निर्माण सहित दो तिहाई से अधिक गतिविधियों को पूरा कर लिया है।

यूनिट की 2014 की दूसरी तिमाही तक उत्पादन शुरू करने की योजना है।

विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

**(vi) 21 जुलाई, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विगोर लेबोरेटरीज जो इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

टेबलेट, कैप्सूल तथा ड्राई सीरपके विनिर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 22 जनवरी, 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, वीएसईजेड द्वारा दो विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 21 जुलाई, 2013 तक वैध है।

यूनिट ने बहुत अधिक वर्षा की वजह से निर्माण सामग्री की प्राप्ति में विलंब के कारण एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

यूनिट ने अवसंरचना पर 2.5 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

यूनिट ने 400000 अमरीकी डालर मूल्य के आर्डर दिए हैं।

विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

**(vii) 4 मार्च, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कलर चिप्स न्यू मीडिया लिमिटेड जो मधुरवाड़ा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में एपीआईआईसी आईटी एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

साफ्टवेयर इनेबल्ड सेवा विकास के प्रचालन के लिए उपर्युक्त यूनिट को 5 मार्च, 2009 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, वीएसईजेड द्वारा तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 4 मार्च, 2013 तक वैध है।

यूनिट ने वित्तीय संस्थाओं से निधियां जुटाने में विलंब के कारण एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

यूनिट ने अब तक 7.69 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा 80 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है।

यूनिट ने फरवरी, 2014 तक परियोजना को पूरा करने की योजना बनाई है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

**(viii) 6 सितंबर, 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एमटेक इलेक्ट्रानिक्स इंडिया लिमिटेड जो गांधीनगर, गुजरात में जीआईडीसी एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

(1) एसी ड्राइव; और (2) मीडियम वोल्टेज ड्राइव के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए उपर्युक्त यूनिट को 7 सितंबर, 2009 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, केएएसईजेड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 6 सितंबर, 2012 तक वैध है।

तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के आवेदन की विकास आयुक्त, केएएसईजेड द्वारा जांच की गई तथा निर्दिष्ट अधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट मंगाई गई जिन्होंने सूचित किया कि मिट्टी भराव तथा प्लाट की सफाई को छोड़कर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। यूनिट से विस्तृत योजना, समाप्ति अनुसूची तथा उत्पादन शुरू करने के लिए उसकी प्रतिबद्धता प्रस्तुत करने के लिए पुन: कहा गया।

यूनिट ने अब परियोजना को पूरा करने के लिए 6 सितंबर, 2015 तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए भी आवेदन किया है।

यूनिट ने परियोजना के लिए 2.55 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

यूनिट ने समय सीमा भी प्रस्तुत की है जिसमें सितंबर 2014 तक निर्माण, मशीनरी की खरीदारी तथा उत्पादन आरंभ होने का उल्लेख है। उन्होंने 7 सितंबर 2012 से अब तक की अवधि के लिए विलंब को माफ करने का भी निवेदन किया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सितंबर, 2014 तक वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ix) 30 सितंबर, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एक्सएल एनर्जी लिमिटेड जो रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर के लिए मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

सोलर फोटोवाल्टिक सेल एवं मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 23 मार्च, 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, सीएसईजेड द्वारा तीन विस्तार तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 27 सितंबर, 2013 तक वैध है।

यूनिट ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है, ताकि परियोजना को क्रियाशील किया जा सके।

यूनिट ने भूमि पर 175 करोड़ रुपए तथा मशीनरी एवं उपकरणों पर 153 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

यूनिट की नवंबर, 2013 तक उत्पादन शुरू करने की योजना है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 60.8 : प्लास्टिक की रिसाइकलिंग का काम करने वाली यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विविध मामले

प्लास्टिक स्क्रैप या अपशिष्ट की रिसाइकलिंग करने वाली एसईजेड की यूनिटों पर एसईजेड से संबंधित नीति अर्थात वाणिज्य विभाग द्वारा 17 सितंबर 2013 को अलग से जारी की गई (अनुबंध 1)

एसईजेड नियमावली का नियम 18 (4) यह कहता है कि प्लास्टिक या फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिसाइकलिंग करने वाली किसी यूनिट के संदर्भ में एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने से संबंधित किसी प्रस्ताव पर निर्णय अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा लिया जाएगा।

12 जून 2013 को आयोजित अपनी 58वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्लास्टिक या फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिसाइकलिंग करने वाली यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि 30 सितंबर 2013 तक या दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाए।

इस बीच एसईजेड में प्लास्टिक स्क्रैप या अपशिष्ट की रिसाइकलिंग करने वाली एसईजेड की यूनिटों पर नीति वाणिज्य विभाग द्वारा 17 सितंबर 2013 को अलग से जारी की गई (अनुबंध 1)।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 30 नवंबर 2013 तक या अगले आदेशों तक इस निदेश के साथ उपर्युक्त सभी यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया कि सभी क्षेत्रीय विकास आयुक्त ऐसे सभी मामलों को उनके एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक (मूलत: 17 अक्टूबर 2013 के लिए निर्धारित) के समक्ष लाएंगे।

(i) **एसईजेड में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करने वाली यूनिटों के संदर्भ में एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड से अनुरोध**

**विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया है कि उनके जोन में प्लास्टिक स्क्रैप या अपशिष्ट की रिसाइकलिंग करने वाली 20 यूनिटें हैं। इनमें से निम्नलिखित 19 यूनिटों ने अपने एलओपी के नवीकरण के लिए आवेदन किया है :**

(i) **कच्छ पोलीमर्स**
(ii) **प्लास्टो ओ फाइन इंडस्ट्रीज**
(iii) **ऐड पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड**
(iv) **ओसवाल पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड**
(v) **इंपीरियल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड**
(vi) **सनराइज इंटरनेशनल**
(vii) **हरीश प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड**
(viii) **लकी स्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड**
(ix) **मोक्ष स्टार इंटरनेशनल**
(x) **श्रीजी पोलीमर्स**
(xi) **पराशर एंटरप्राइजेज**
(xii) **शिवम स्क्रैप रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड**
(xiii) **ब्लेज इंटरनेशनल**
(xiv) **अंश पोलीमर्स लिमिटेड**
(xv) **सीजे प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड**
(xvi) **सत्गुरु पोलीफैब प्राइवेट लिमिटेड**
(xvii) **कांडला पोलीप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**
(xviii) **पोलीरेक प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड**
(xix) **न्यू प्लास्टोमर्स इंडिया लिमिटेड**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।**

**(ii) एसईजेड में प्लास्टिक / स्क्रैप / अपशिष्ट की रिसाइकलिंग करने वाली यूनिटों के संदर्भ में एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, फाल्टा से अनुरोध**

**विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड ने सूचित किया है कि उनके जोन में प्लास्टिक / स्क्रैप / अपशिष्ट की रिसाइकलिंग करने वाली निम्नलिखित 7 यूनिटें अपने एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की श्रेणी में आ रही हैं:**

(i) **प्रिसीजन पोलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड**
(ii) **बावरिया पोली प्राइवेट लिमिटेड जिसका नाम अब मैसर्स कल्पना इंडस्ट्रीज लिमिटेड है**
(iii) **अमरनाथ एनवायरोप्लास्ट लिमिटेड**
(iv) **आल्पस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड**
(v) **स्लास्टोलीन पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड**
(vi) **सुखी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**
(vii) **नैरा एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड**

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।

(iii) मैसर्स मैकलॉयड पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड जो सूरत एसईजेड की यूनिट है, के एलओपी के नवीकरण के लिए विकास आयुक्त+ सूरत एसईजेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अग्रेषित किया है। अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 60.9 : फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिसाइकलिंग का काम करने वाली यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विविध मामले

एसईजेड से संबंधित नीति अर्थात एसईजेड में फटे पुराने तथा प्रयुक्त कपड़ों के कामकाज को विनियमित करने के लिए नीति वाणिज्य विभाग द्वारा 17 सितंबर 2013 को अलग से जारी की गई (अनुबंध 1)।

एसईजेड नियमावली का नियम 18 (4) यह कहता है कि प्लास्टिक या फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिसाइकलिंग करने वाली किसी यूनिट के संदर्भ में एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने से संबंधित किसी प्रस्ताव पर निर्णय अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा लिया जाएगा।

12 जून 2013 को आयोजित अपनी 58वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्लास्टिक या फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिसाइकलिंग करने वाली यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि 30 सितंबर 2013 तक या दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाए।

इस बीच फटे पुराने तथा प्रयुक्त कपड़ों के कामकाज को विनियमित करने के लिए एसईजेड में यूनिटों पर नीति वाणिज्य विभाग द्वारा 17 सितंबर 2013 को अलग से जारी की गई (अनुबंध 1)।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 30 नवंबर 2013 तक या अगले आदेशों तक इस निदेश के साथ उपर्युक्त सभी यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया कि सभी क्षेत्रीय विकास आयुक्त ऐसे सभी मामलों को उनके एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक (मूलत: 17 अक्टूबर 2013 के लिए निर्धारित) के समक्ष लाएंगे।

(i) एसईजेड में फटे पुराने तथा प्रयुक्त कपड़ों का व्यवसाय करने वाली यूनिटों के संदर्भ में एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड से अनुरोध

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया है कि उनके जोन में फटे पुराने या प्रयुक्त कपड़ों का व्यवसाय करने वाली 16 यूनिटें हैं। इनमें से निम्नलिखित 14 यूनिटों ने अपने एलओपी के नवीकरण के लिए आवेदन किया है :

(i) राघवानी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड
(ii) टेक्सूल वेस्टसेवर्स
(iii) फ्लैक्स अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड
(iv) कैनम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
(v) मारूती एक्सपोर्ट्स
(vi) अनीता एक्सपोर्ट्स
(vii) बाबू इंटरनेशनल
(viii) स्टार साइन क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड

(ix) **ओम सिद्ध विनायक इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड**

(x) **जिंदल फाइबर्स**

(xi) **ट्यूलिप एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड**

(xii) **यूएस क्लोथिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**

(xiii) **सफारी फाइन क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड**

(xiv) **सीजे प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।**

**मद संख्या 60.10 : एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के विविध मामलों की पुष्टि के लिए मामले**

**(i) केसुर्डे, तालुक खंडाला, जिला सतारा में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 4 अप्रैल 2012 के बाद चौथी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध**

**उपर्युक्त एसईजेड को** 5 **अप्रैल** 2006 **को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जो** 4 **अप्रैल**, 2012 **तक वैध है।**

**विकासक ने एक और साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। तथापि**, **विकास आयुक्त**, **एसईईपीजेड ने प्रस्ताव किया कि एलओए की वैधता अवधि** 4 **अप्रैल** 2012 **से** 26 **सितंबर** 2012 **तक बढ़ाई जा सकती है क्योंकि मैसर्स फ्लेमिंगो फर्मास्युटिकल लिमिटेड जो एसईजेड में अनुमोदित यूनिट है**, **ने** 26 **सितंबर** 2012 **को उत्पादन शुरू कर दिया है।**

**इस विभाग में मामले की जांच की गई तथा** 26 **सितंबर** 2012 **तक एलओपी का चौथा विस्तार प्रदान करने और फिर अनुमोदन बोर्ड के समक्ष इसकी पुष्टि कराने का निर्णय लिया गया।**

**मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुष्टि के लिए प्रस्तुत है।**

**मद संख्या 60.11 : विविध मामले**

**(i) अपने एसईजेड का सेक्टर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर से बदलकर आईटी / आईटीईएस करने के लिए मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जो नवालूर, चेन्नई, तमिलनाडु में हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध**

**उपर्युक्त विकासक को** 6 **नवंबर** 2006 **को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था।** 10.57 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है।**

**विकासक ने एसईजेड नियमावली में हाल के संशोधन दिनांक** 12 **अगस्त** 2013 **(अनुबंध** 3) **के कारण हार्डवेयर से साफ्टवेयर में अपना सेक्टर परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया है।**

**विकास आयुक्त**, **एमईपीजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।**

**अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।**

**(ii) एसईजेड का सेक्टर 'विद्युत' से बदलकर 'इंजीनियरिंग' करने के लिए मैसर्स ओपीजीएस पावर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड जो भद्रेश्वर, मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विद्युत के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध**

104.72.24 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विद्युत क्षेत्र में उपर्युक्त एसईजेड को** 5 **दिसंबर**, 2012 **को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब तक उन्होंने** 30-35 **प्रतिशत परियोजना कार्य पूरा कर लिया है तथा कार्यों तथा पावर प्लांट के लिए भेल को आर्डर देने पर** 500 **करोड़ रुपए का निवेश किया है।**

**विकासक ने क्षेत्र में इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए प्रबल संभावना को ध्यान में रखते हुए सेक्टर में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया है।**

30 **अगस्त** 2013 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की** 59**वीं बैठक में** 55.249565 **हेक्टेयर के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई परंतु सेक्टर को विद्युत से बदलकर इंजीनियरिंग करने के अनुरोध को अपने एसईजेड के सेक्टर में परिवर्तन के लिए विकासक के अनुरोध पर अग्रेतर जांच के लिए आस्थगित कर दिया गया।**

**विकास आयुक्त**, **केएएसईजेड ने अब विकासक के अनुरोध की जांच कर ली है तथा राय व्यक्त की है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है**, **सेक्टर में परिवर्तन के लिए विकासक के अनुरोध को अनुमोदित किया जा सकता है क्योंकि पावर प्लांट में उत्पादित विद्युत का एसईजेड में प्रस्तावित इंजीनियरिंग यूनिटों द्वारा पर्याप्त मात्रा में उपभोग किया जा सकता है।**

**प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।**

**(iii) अतिरिक्त मदों के विनिर्माण के लिए मैसर्स एमएमजी इंपेक्स जो एमईपीजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव**

**प्रोसेस्ड ह्यूमन हेयर के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए उपर्युक्त यूनिट को** 6 **जून**, 2012 **को एलओपी प्रदान किया गया था।**

**यूनिट ने अपने एलओपी में निम्नलिखित मदों के विनिर्माण को शामिल करने के लिए आवेदन किया है** :

(i) **सैंडलवुड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट**
(ii) **सैंडलवुड मशीन मेड प्रोडक्ट**
(iii) **सैंडलवुड चिप्स** (**प्रति नग** 50 **ग्राम तक**)
(iv) **सैंडलवुड पाउडर / डस्ट**
(v) **सैंडलवुड फ्लेक / स्क्रैप / वेस्ट**

6 **नवंबर** 2013 **को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में उपर्युक्त अनुरोध रखा गया था जिन्होंने इस मामले को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने की सिफारिश की।**

**विकास आयुक्त**, **एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध को अग्रेषित किया है** (**अनुबंध** 4)।

**प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।**

**(iv) मैसर्स एलएंडटी शिप बिल्डिंग लिमिटेड जो कट्टूपल्ली, तमिलनाडु में मैसर्स एलएंडटी शिप बिल्डिंग लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव जिसमें आयात के लिए प्रतिबंधित मदों की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है**

**उपर्युक्त यूनिट को "सभी प्रकार के रक्षा एवं वाणिज्यिक पोत, वेजल तथा उनके पार्ट्स के निर्माण / विनिर्माण, मरम्मत तथा परिवर्तन" के लिए एलओपी प्रदान किया गया था। अब यह यूनिट क्रियाशील हो गई है।**

**यूनिट ने निम्नलिखित प्रतिबंधित मदों की खरीद के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है जिन्हें पोत निर्माण की गतिविधियों में प्रयुक्त किया जाएगा :**

| मद का नाम | आईटी एचएस कोड | अपेक्षित मात्रा की संख्या |
|---|---|---|
| असेसरीज के साथ रडार | 85261000 | 34 सेट |

**यूनिट ने बताया है कि पोत निर्माण की अपनी गतिविधियों के लिए उसे अक्सर विभिन्न प्रतिबंधित मदों का आयात करना होता है। अत: यूनिट ने अनुरोध किया है कि प्रतिबंधित मदों के आयात के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है क्योंकि एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 27 यह कहता है कि निषिद्ध मदों को छोड़कर एसईजेड यूनिट सभी मदों का आयात कर सकती है और इसके अलावा अनुदेश संख्या 47 के अनुसार केवल एसईजेड यूनिट को डीटीए यूनिट द्वारा आपूर्ति की जा सकती है।**

**विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है (अनुबंध 5)।**

**प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।**

**(v) मैसर्स लार्सेन एंड टुब्रो लिमिटेड जो कट्टूपल्ली, तमिलनाडु में मैसर्स एलएंडटी शिप बिल्डिंग लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव जिसमें आयात के लिए प्रतिबंधित मदों की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है**

**निम्नलिखित आफशोर प्लेटफार्म एवं प्रोडक्ट के विनिर्माण, संयोजन, गुणवत्ता आश्वासन / गुणवत्ता नियंत्रण, जांच एवं ट्रायल तथा लोड आउट के लिए उपर्युक्त को एलओपी प्रदान किया गया था : पाइल्स, जैकेट, टॉपसाइड और उसके पार्ट्स, फ्लोटिंग प्रोडक्शन एवं स्टोरेज यूनिट; एफपीएसओ, सेमी सबमर्सिबल, टीएलपी, स्पार, जैक अप रिग तथा उसके पार्ट्स अब यह यूनिट क्रियाशील हो गई है।**

**यूनिट ने निम्नलिखित प्रतिबंधित मदों की खरीद के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है जिन्हें पोत निर्माण की गतिविधियों में प्रयुक्त किया जाएगा :**

| मद का नाम | आईटी एचएस कोड | अपेक्षित मात्रा की संख्या |
|---|---|---|
| रडार | 85261000 | 1 सेट |
| नान डायरेक्शनल बेकन | 85269140 | 1 सेट |

**अधिकृत गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित मदों जैसे कि रडार - 1 सेट तथा नान डायरेक्शनल बेकन - 1 सेट के आयात / प्रापण के लिए यूनिट की आवश्यकता है जिनको उनके द्वारा विनिर्मित वेल हेड प्लेटफार्म में फिट किया जाना है।**

**इस विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 के अनुसार प्रतिबंधित मदों के आयात / प्रापण के लिए अनुमोदन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।**

**विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है (अनुबंध 6)।**

**प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।**

**(vi) रक्षा उत्पादों को शामिल करने के लिए विनिर्माण की उनकी गतिविधि की ब्राड बैंडिंग के अनुमोदन के लिए मैसर्स टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड जो अधिबाटला गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एपीआईआईसी लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव**

**एस-92 हेलीकाप्टर के फ्यूजलेज के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए उपर्युक्त यूनिट को एलओपी प्रदान किया गया था जिसकी वार्षिक क्षमता 65 है। अब यह यूनिट क्रियाशील हो गई है।**

**यूनिट ने सैन्य एयरक्राफ्ट (फिक्स्ड तथा रोटरी दोनों एयरक्राफ्ट) तथा सैन्य हेलीकाप्टरों के लिए अतिरिक्त उत्पादों (एयरो स्ट्रक्चर, उपकरण, सिस्टम तथा प्रोपल्सन सिस्टम के लिए अनुरोध किया है जिससे 25 मिलियन अमरीकी डालर राजस्व अर्जित होने की संभावना है।**

**विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है (अनुबंध 7)।**

**प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।**

**(vii) अपनी एसईजेड यूनिट को मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड, चेन्नई द्वारा विकसित एसईजेड में रिलोकेट करने के लिए मैसर्स फिडेलिटी बिजनेस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, से अनुरोध**

**यूनिट की व्यवसाय योजना के विस्तार के लिए उपर्युक्त यूनिट को भूतल पर अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता है। यूनिट ने अपनी यूनिट को ट्रिल इनफो पार्क लिमिटेड के एसईजेड में शिफ्ट करने के लिए मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड, चेन्नई से सहमति पत्र प्राप्त कर लिया है तथा मैसर्स जीकेएस टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ इनफोसिटी एसईजेड का सह विकासक है, से अनापत्ति पत्र भी प्राप्त कर लिया है।**

**विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध को अग्रेषित किया है (अनुबंध 8)।**

**प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।**

**(viii) अपनी एसईजेड यूनिट को ग्राम टिकरी, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स यूनिट रियलिटी एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित एसईजेड ने ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स इवैलूसर्व एसईजेड (गुड़गांव) प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स गुड़गांव इनफो स्पेस एसईजेड लिमिटेड द्वारा सेक्टर 21, ग्राम डूंडाहेड़ा, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, से अनुरोध**

**उपर्युक्त यूनिट ने बताया है कि उनके ग्रुप की एक कंपनी अर्थात मैसर्स इवैलूसर्व डाट कॉम प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम टिकरी, गुड़गांव में मैसर्स यूनिटेक रियलिटी एसईजेड द्वारा विकसित एसईजेड में एलओपी इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि वे आयकर लाभों का दावा नहीं करेंगे तथा कर निर्धारण अधिकारी को आयकर छूट के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है।**

**उपर्युक्त यूनिट ने यह भी सूचित किया है कि मौजूदा एसईजेड यूनिट की शिफ्टिंग के बाद भी दोनों कंपनियां उसी एसईजेड में रहेंगी जो उनके लिए निम्नानुसार लाभप्रद होगा** :

(i) **इससे प्रशासनिक सहायता तथा लाजिस्टिक्स की लागत की दृष्टि से लागत में काफी बचत होगी।**

(ii) **प्रस्तावित परिसरों का किराया मौजूदा किराए से काफी कम है इसलिए किराए की उनकी लागत में काफी कटौती हो जाएगी।**

**यूनिट ने यह भी बताया है कि** :

(i) **मैसर्स यूनीटेक रियल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड एसईजेड के साथ मंशा पत्र पर हस्ताक्षर हो गए हैं**

(ii) **ऐसी शिफ्टिंग के फलस्वरूप क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण संशोधित वित्तीय अनुमान (अनुबंध** 9)

**विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुदेश संख्या** 59 **दिनांक** 18 **जून** 2010 **के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए अनुरोध को अग्रेषित किया है जिसके अनुसार एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में यूनिटों की शिफ्टिंग के सभी प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे।**

**प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।**

**(ix) अपनी एसईजेड यूनिट को मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड, चेन्नई द्वारा विकसित एसईजेड में रिलोकेट करने के लिए मैसर्स ट्रेंचैंट ट्रेडिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ इनफोसिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, से प्रस्ताव**

**यूनिट की व्यवसाय योजना के विस्तार के लिए उपर्युक्त यूनिट को भूतल पर अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता है। यूनिट ने अपनी यूनिट को आईजी**3 **इनफ्रा लिमिटेड के एसईजेड में शिफ्ट करने के लिए मैसर्स आईजी**3 **इनफ्रा लिमिटेड, चेन्नई से सहमति पत्र प्राप्त कर लिया है तथा मैसर्स डीएलएफ असेस्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ इनफोसिटी एसईजेड का सह विकासक है, से अनापत्ति पत्र भी प्राप्त कर लिया है।**

**विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध को अग्रेषित किया है (अनुबंध** 10)।

**प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।**

**(x) मैसर्स सेसा गोवा लिमिटेड के साथ अपने समामेलन के अनुमोदन तथा एसईजेड का नाम बदलकर मैसर्स सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड जो ग्राम वीरापंडियापुरम, तूतीकोरीन, तमिलनाडु में कॉपर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, से अनुरोध**

**उपर्युक्त अनुरोध संबंधित कंपनियों के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित समामेलन की योजना जिसे माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक** 25 **जुलाई** 2013 **तथा माननीय बांबे उच्च न्यायालय, गोवा पीठ द्वारा अपने आदेश दिनांक** 3 **अप्रैल** 2013 **के माध्यम से अनुमोदित किया गया है, के अनुसरण में किया गया है।**

**माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित समामेलन की योजना में मैसर्स सेसा गोवा लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड करने के लिए नाम का विकल्प प्रदान करने या ऐसा अन्य वैकल्पिक नाम प्रदान करने का प्रावधान था जो कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमत किया जा सकता है।**

तद्नुसार मैसर्स सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड ने 18 सितंबर 2013 से नाम में परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करते हुए नाम बदलकर मैसर्स सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड करने के लिए अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध को अग्रेषित किया है (अनुबंध 11)।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।

(xi) मैसर्स सेसा गोवा लिमिटेड के साथ अपने समामेलन के अनुमोदन तथा एसईजेड का नाम बदलकर मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम एसईजेड (जो सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड की यूनिट है) करने के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड जो झर्सूगुडा, उड़ीसा में एल्युमिनियम के निर्माण एवं निर्यात के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, से अनुरोध

उपर्युक्त अनुरोध संबंधित कंपनियों के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित समामेलन की योजना जिसे माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25 जुलाई 2013 तथा माननीय बांबे न्यायालय, गोवा पीठ द्वारा अपने आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2013 के माध्यम से अनुमोदित किया गया है, के अनुसरण में किया गया है।

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित समामेलन की योजना में मैसर्स सेसा गोवा लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड करने के लिए नाम का विकल्प प्रदान करने या ऐसा अन्य वैकल्पिक नाम प्रदान करने का प्रावधान था जो कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमत किया जा सकता है।

तद्नुसार मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड ने 18 सितंबर 2013 से नाम में परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करते हुए नाम बदलकर मैसर्स सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड करने के लिए अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, फाल्टा ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है (अनुबंध 12)।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।

(xii) मैसर्स एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड, चेन्नई, जो एर्नाकुलम, केरल में मैसर्स इनफो पार्क एसईजेड लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र एसईजेड का सह विकासक है, के डिमर्जर के फलस्वरूप मैसर्स एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड और मैसर्स एलएंडटी तेजोमाया लिमिटेड के संदर्भ में अवंसरचना गतिविधियों के साथ अनुमोदित सह विकासक के स्टेटस के लिए प्रस्ताव

उपर्युक्त एसईजेड में मैसर्स एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड, एर्नाकुलम, केरल को 27 जून 2006 को सह विकासक के रूप में औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह सह विकासक करार दिनांक 2 जून 2006 पर आधारित था।

उपर्युक्त सह विकासक के संदर्भ में 7 जनवरी 2009 को प्रचालनों का क्षेत्रफल 4.35 एकड़ से बढ़ाकर 7.44 एकड़ किया गया। यह सह विकासक करार दिनांक 10 जुलाई 2009 पर आधारित था।

सह विकासक ने दो चरणों में उपर्युक्त क्षेत्र का विकास किया था। 0.4 मिलियन वर्गफीट के तेजोमाया नामक सुपर स्ट्रक्चर के विकास का पहला चरण पूरा हो गया है तथा उक्त सुपर स्ट्रक्चर पूर्णत: पट्टा पर दिया जा चुका है तथा मार्च 2008 से क्रियाशील है। पहले चरण में सह विकासक द्वारा मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा का भी विकास किया गया तथा तेजोमाया के अधिभोक्ताओं द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।

लगभग 0.65 मिलियन वर्गफीट के सिग्नेचर टावर नामक सुपर स्ट्रक्चर के विकास के दूसरे चरण की जिम्मेदारी वर्तमान में एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड के पास है।

सह विकासक अर्थात मैसर्स एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड का अब निम्नलिखित कंपनियों में विलय हो गया है :

(क) मैसर्स एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड - इसके प्रचालन के अधीन क्षेत्रफल को सीमित करके 4.29 एकड़ किया गया है
(ख) मैसर्स एलएंडटी तेजोमाया लिमिटेड - इसके प्रचालन के अधीन क्षेत्रफल को सीमित करके 2.91 एकड़ किया गया है

0.24 एकड़ के कामन ड्राइव वे नामक क्षेत्रफल को समान रूप से साझा करने का प्रस्ताव किया गया है।

वर्तमान अनुरोध निम्नानुसार इन दोनों विलयित कंपनियों से है (अनुबंध 13) :

(क) मैसर्स एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड - 0.24 एकड़ के कामन ड्राइव वे में 50 प्रतिशत अविभाजित शेयर के पट्टा के साथ परियोजना के दूसरे चरण के विकास से संबंधित 4.29 एकड़ के अपने प्रचालन के अधीन क्षेत्रफल को सीमित करते हुए सह विकासक के स्टेटस के लिए अनुरोध
(ख) मैसर्स एलएंडटी तेजोमाया लिमिटेड - 0.24 एकड़ के कामन ड्राइव वे में 50 प्रतिशत अविभाजित शेयर के पट्टा के साथ परियोजना के पहले चरण के प्रचालन, अनुरक्षण एवं वृद्धि से संबंधित 2.91 एकड़ के अपने प्रचालन के अधीन क्षेत्रफल को सीमित करते हुए सह विकासक के स्टेटस के लिए अनुरोध

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने नोट किया है कि उपर्युक्त दोनों सह विकासकों ने 90 साल की अवधि के लिए विकासक के साथ अलग से पट्टा करार किया है। दोनों सह विकासकों ने 7 सितंबर 2095 तक न्यूनतम अवधि के लिए इनफोपार्क के साथ निष्पादित अपना सह विकासक करार भी प्रस्तुत किया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ दोनों प्रस्तावों की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।

**मद संख्या 60.12 : एसईजेड में उत्पादित की जाने वाली मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन**

एसईजेड तथा ईओयू के लिए रक्षा से संबंधित मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का विषय पहले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा देखा जा रहा था। तथापि, अब यह विषय वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। वाणिज्य विभाग में मामले की जांच की गई तथा ऐसे सभी प्रस्तावों / अनुरोधों को विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

**(i) सी4आई सिस्टम, इलेक्ट्रो आप्टिकल सिस्टम, अंडर वाटर सिस्टम तथा एवियोनिक्स के विनिर्माण और विकास के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए मैसर्स पीपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का आवेदन**

विचाराधीन मामला सी4आई सिस्टम, इलेक्ट्रो आप्टिकल सिस्टम, अंडर वाटर सिस्टम तथा एवियोनिक्स के विनिर्माण और विकास के लिए मैसर्स पीपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के बारे में है।

**एसईजेड तथा ईओयू के लिए रक्षा से संबंधित मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का विषय पहले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा देखा जा रहा था। तथापि, अब यह विषय वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा मैसर्स पीपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का मामला सहित सभी लंबित मामले औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए वाणिज्य विभाग को भेजे गए हैं।**

**वर्तमान मामले में मैसर्स पीपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को जिला अंबेली, गुजरात में लाइसेंस जारी किए जाने की तिथि से दो साल की अवधि के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए विभिन्न प्रकार के वेजल अर्थात वेरी लार्ज क्रूड कंटेनर वेजल (वीएलसीसी) - 2.5, पैनामैक्स वेजल, मर्चेंट वेजल (मिडियम साइज) और स्ट्रेटजिक / डिफेंस वेजल (मिडियम साइज) के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस नंबर** DIL:35(2010) **दिनांक** 6 **अक्टूबर** 2010 **जारी किया गया।**

**यूनिट ने अब सी**41 **सिस्टम जैसे कि कंबैट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस), बैटल मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस), इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम (आईबीएस) और इंटीग्रेटेड प्लेटफार्म मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमपीएस) के निर्माण एवं विकास के लिए अतिरिक्त लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।**

**वर्तमान मामले में डीआईपीपी द्वारा विभिन्न विभागों से टिप्पणियां मंगाई गई। निम्नलिखित विभागों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं** :

(1) **रक्षा उत्पादन विभाग**
(2) **गृह मंत्रालय (एमएचए)**
(3) **आर्थिक कार्य विभाग**
(4) **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)**
(5) **गुजरात राज्य सरकार**

**विकास आयुक्त, केएएसईजेड की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।**

**उपर्युक्त के आधार पर, सी41 सिस्टम, इलेक्ट्रो आप्टिकल सिस्टम, अंडर वाटर सिस्टम तथा रियानिक्स के निर्माण एवं विकास के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स पीपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का मामला निर्णय के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

**(ii) रक्षा उत्पादों जैसे कि रेडियो तथा उपग्रह संचार उपकरण तथा ऑपट्रोनिक्स एवं ऑप्टो इलेक्ट्रानिक सिस्टम आदि के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए मैसर्स सिरमा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का आवेदन**

**विचाराधीन प्रस्ताव रक्षा उत्पादों जैसे कि रेडियो एवं उपग्रह संचार उपकरण तथा ऑप्ट्रोनिक्स तथा ऑप्टो इलेक्ट्रानिक सिस्टम के निर्माण के लिए मैसर्स सिरमा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो एसईजेड यूनिट है, को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के संबंध में है।**

**एसईजेड तथा ईओयू के लिए रक्षा से संबंधित मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का विषय पहले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा देखा जा रहा था। तथापि, अब यह विषय वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा मैसर्स सिरमा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई का मामला सहित सभी लंबित मामले औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए वाणिज्य विभाग को भेजे गए हैं।**

**वर्तमान मामले में डीआईपीपी द्वारा विभिन्न विभागों से टिप्पणियां मंगाई गई। निम्नलिखित विभागों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं** :

(1) **रक्षा उत्पादन विभाग**
(2) **गृह मंत्रालय** (एमएचए)
(3) **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय** (एमएसएमई)
(4) **तमिलनाडु राज्य सरकार**

**विकास आयुक्त, एमएसईजेड की सिफारिशें - विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड ने मामले की सिफारिश की है।**

**उपर्युक्त के आधार पर केवल 500 की प्रस्तावित वार्षिक क्षमता के साथ रेडियो एवं उपग्रह संचार उपकरण तथा ऑप्ट्रोनिक्स तथा ऑप्टो इलेक्ट्रानिक सिस्टम के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स सिरमा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई का मामला निर्णय के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

**(iii) रडार, सोनार तथा इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम की डिजाइन, विकास एवं निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए मैसर्स डाटा पैटर्न, चेन्नई का आवेदन**

**विचाराधीन मामला रडार, सोनार तथा इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम की डिजाइन, विकास एवं निर्माण के लिए मैसर्स डाटा पैटर्न, चेन्नई को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के संबंध में है। मैसर्स डाटा पैटर्न एसईजेड यूनिट है तथा ईटीए टेक्नोपार्क एसईजेड, चेन्नई का विकासक है।**

**एसईजेड तथा ईओयू के लिए रक्षा से संबंधित मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का विषय पहले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा देखा जा रहा था। तथापि, अब यह विषय वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा मैसर्स डाटा पैटर्न, चेन्नई का मामला सहित सभी लंबित मामले औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए वाणिज्य विभाग को भेजे गए हैं।**

**वर्तमान मामले में डीआईपीपी द्वारा विभिन्न विभागों से टिप्पणियां मंगाई गई। निम्नलिखित विभागों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं :**

(1) **रक्षा उत्पादन विभाग**
(2) **गृह मंत्रालय** (एमएचए)
(3) **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय** (एमएसएमई)
(4) **तमिलनाडु राज्य सरकार**

**विकास आयुक्त, एमएसईजेड की सिफारिशें यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए किया जा सकता है।**

**उपर्युक्त के आधार पर केवल 45 की वार्षिक क्षमता के साथ रडार एवं सोनार सिस्टम की डिजाइन, विकास एवं निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स डाटा पैटर्न, चेन्नई का मामला निर्णय के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**

******